भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 280

बुधवार, 18 मार्च, 2026 (27) फाल्गुन 1947 (शक)) को उत्तरार्थ

बहुराज्यीय सहकारी समितियों की लेखा परीक्षाएं

280 श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बहुराज्यीय सहकारी समितियों (एमएससीएस) की समय पर और नियमित लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो लेखा परीक्षित बहुराज्यीय सहकारी समितियों (एमएससीएस) की संख्या सहित विगत तीन वर्षों के दौरान की गई लेखा परीक्षाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन लेखा परीक्षाओं में कोई अनियमितता पाई गई, और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): संसद के पटल पर एक विवरणी रखी है ।

श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी, माननीय संसद सदस्य द्वारा "बहुराज्यीय सहकारी समितियों की लेखा परीक्षाएं" के संबंध में पूछे गए दिनांक 18 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 280 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 70 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में एक संपरीक्षक या संपरीक्षकों की नियुक्ति करे । ऐसे संपरीक्षकों या संपरीक्षा फर्मों का चयन केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित पैनल में से किया जाएगा । इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वह उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिससे लेखे संबंधित हैं, छह माह के भीतर अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी को प्रस्तुत करे ।

इसके अतिरिक्त, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 72 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अभिप्राय से चार्टर्ड एकाउंटेंट न हो।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान संपरीक्षित बहुराज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) की कुल संख्या अनुबंध–I पर दर्शायी गई है । कुछ मामलों में कतिपय अनियमितताएं, जिनमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंधों का उल्लंघन भी शामिल है, देखी गई हैं । जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है । ऐसे मामलों में जहाँ गंभीर अनियमितताएँ देखी जाती हैं और यह पाया जाता है कि सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, वहाँ बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 86 के अधीन परिसमापन की कार्यवाहियाँ शुरू की जाती हैं और परिसमापक नियुक्त किए जाते हैं ।

*****

संलग्नक -I

एमएससीएसएस द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी की राज्यवार संख्या

(दिनांक 28/02/2026 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	3	3	5
2	असम	2	1	0
3	बिहार	4	5	8
4	छत्तीसगढ़	1	1	0
5	दिल्ली	58	60	49
6	गुजरात	20	21	17
7	हरियाणा	5	7	5
8	झारखंड	2	2	2
9	कर्नाटक	18	25	24
10	केरल	20	37	28
11	मध्य प्रदेश	6	6	5
12	महाराष्ट्र	291	303	275
13	नागालैंड	1	0	0
14	ओडिशा	1	0	0
15	पुडुचेरी	4	4	4
16	पंजाब	5	6	5
17	राजस्थान	18	20	16
18	सिक्किम	1	1	1
19	तमिलनाडु	75	79	65
20	तेलंगाना	8	11	11
21	उत्तर प्रदेश	37	36	22
22	उत्तराखंड	1	1	2
23	पश्चिम बंगाल	16	16	11
	कुल	**597**	**645**	**555**